न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	348/2021
सी.आई.एस. नंबर	:	350/2021
सी.एन.आर. नंबर	:	RJBR110007092021
निर्णय दिनांक	:	02.05.2026

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I
(A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्त	दिलीप कुमार पुत्र रामकुंवार, आयु 47 वर्ष, निवासी मौजा सोरसन की झोपड़ियां, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. .... अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री मंजूर हसन खान, अभियुक्त की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	10.06.2020
एफ.आई.आर. की दिनांक	11.06.2020
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	22.11.2021
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्त दिलीप कुमार, दिनांक 22.11.2021
सुनवायी की दिनांक	22.04.2022
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	02.05.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	02.05.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

कम संख्या	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	दिलीप कुमार	–	–	341, 323 भारतीय दंड संहिता	दोषसिद्ध	निर्णय की मद संख्या 25. में वर्णित	–

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

कम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	ओमप्रकाश	तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का, ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का एवं तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का, धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं स्वयं के साथ मारपीट की घटना घटित होने का गवाह
2.	लीलाधर	चश्मदीद वाका का, तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का एवं धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
3.	चौथमल	धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं तस्दीकशुदा नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह
4.	जीतराम नागर	आहत की एक्स रे रिपोर्ट का गवाह
5.	डॉ. विजेंद्र नाथ तिवारी	परिवादी/आहत की एम.एल.सी. एवं एक्स रे रिपोर्ट का गवाह
6.	बच्चू सिंह	हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह

(B) बचाव साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 5	आहत ओमप्रकाश का एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 4 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 5
05.	प्रदर्श पी. 6	आहत ओमप्रकाश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 6
06.	प्रदर्श डी. 1	पुलिस बयान लीलाधर प्रदर्श डी. 1
07.	प्रदर्श डी. 2	पुलिस बयान ओमप्रकाश प्रदर्श डी. 2

(B) बचाव प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

कम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का कमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर कमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः–02.05.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनाँक 21.05.2022 को फरियादी ओमप्रकाश पुत्र छीतरलाल, निवासी ग्राम चुरेलिया, जिला बारां राज. ने उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम चुरेलिया, जिला बारां राज. का रहने वाला है। दिनांक 10.06.2020 को वह, अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम रकसपुरिया, तहसील सांगोद में चेतन के पास उधार के पैसे लेने गया था, जहॉ से कल शाम को पॉच बजे करीब मऊ जागीर गॉव में आया तो बारिश आ जाने से एक दुकान पर रुक गया, तब ही सोरसन की तरफ से दिलीप पुत्र रामकुंवार, कार लेकर आया एवं उसने, उसे देखते ही रोड पर कार खड़ी कर दी और उसको, रोककर उसके

साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की, उसके पेट में भी घूसे मारे। उसने काफी हाथा जोड़ी की, दिलीप तब माना, फिर जैसे ही वह, वहॉ से उसकी मोटरसाईकिल लेकर जाने लगा तो दिलीप ने, उसके पीछे कार भगाई एवं पीछे से टक्कर मार कर, उसको गिरा दिया एवं दुबारा मारपीट पर आमादा हुआ। उसी समय, उनके गॉव का लीलाधर पुत्र नैनकराम, सांगोद की तरफ से आया, जिसने बीच बचाव कराया एवं घटना देखी है। मोटरसाईकिल गिरने में उसका बायां हाथ–पैर एवं दाहिने हाथ के पंजे एवं सिर पर चोटें आयी है। वह, कल दिलीप के डर के मारे रिपोर्ट को नहीं आ सका, आज रिपोर्ट कराने आया है। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां द्वारा मुकदमा नंबर 255/2020, अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्त को अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से, सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, साक्ष्य अभियोजन में गवाहान पीडब्ल्यू–1 ओमप्रकाश, पीडब्ल्यू–2 लीलाधर, पीडब्ल्यू–3 चौथमल, पीडब्ल्यू–4 जीतराम, पीडब्ल्यू–5 डॉ. विजेंद्र नाथ तिवारी, पीडब्ल्यू–6 बच्चू सिंह को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 3, आहत ओमप्रकाश का एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 4 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 5, आहत ओमप्रकाश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 6, पुलिस बयान लीलाधर प्रदर्श डी. 1, पुलिस बयान ओमप्रकाश प्रदर्श डी. 2 को प्रदर्शित कराया गया।

5. तत्पश्चात् अभियुक्त के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं झूठा फॅसाया जाने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर नहीं किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. क्या अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा दिनांक 10.06.2020 को समय शाम के पॉच बजे के लगभग, स्थान मौजा चुरेलिया, अंता में सोरसन गॉव की तरफ वाले रास्ते पर, स्वैच्छयापूर्वक परिवादी ओमप्रकाश को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उसे उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था। साथ ही परिवादी/आहत ओमप्रकाश के साथ, स्वैच्छयापूर्वक, हाथा–पाई की एवं हाथ–मुक्कों से मारपीट कर, उसके

शरीर पर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी ? इस प्रकार अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्त के विरूद्ध उचित दण्ड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में, दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा हैं कि प्रकरण में अभियोजन कहानी से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। प्रकरण में गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। प्रकरण में सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्त को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है। प्रकरण में अभियुक्त पिछले पॉच वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। प्रकरण में परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गई है। प्रकरण में परिवादी पक्ष द्वारा द्वेष में आकर, उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने मारपीट होते हुये नहीं देखी है। प्रकरण में हितबद्ध गवाहान न्यायालय समक्ष परीक्षित हुये है। प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को, युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रकरण में, अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :–

11. संपूर्ण अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा दिनांक 10.06.2020 को समय शाम के पॉच बजे के लगभग, स्थान मौजा चुरेलिया, अंता में सोरसन गॉव की तरफ वाले रास्ते पर, स्वैच्छयापूर्वक परिवादी ओमप्रकाश को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, मार्ग अवरूद्ध कर, उसे उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने का वह अधिकारी था। साथ ही परिवादी/आहत ओमप्रकाश के साथ, स्वैच्छयापूर्वक, हाथा–पाई की एवं हाथ–मुक्कों से मारपीट कर, उसके शरीर पर, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी। इस प्रकार अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 06 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। हस्तगत प्रकरण में, जहां तक प्रश्न, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना एवं घटनास्थल का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा, परिवादी/आहत ओमप्रकाश को गवाह पी0ड0 01 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये, न्यायालय समक्ष अपने बयानों में कथन किया है कि वह ग्राम चुरेलिया का रहने वाला है। यह बात चार साल पुरानी है। यह बात शाम को पॉच छः बजे की है। वह रकसपुरिया से मोटरसाईकिल से चुरेलिया गॉव में आ

रहा था, बीच रास्ते में बारिश हो जाने से, मऊ गॉव में चाय की बॉडी पर रूक गया था। उधर से दिलीप थार गाड़ी लेकर आया और गाड़ी से उतरकर, उसके साथ गाली गलौच करी थी और फिर उसने बोला कि 'मेरा क्या कसूर है, मेरा, तेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नही है'। **फिर उसके बाद, दिलीप ने उसके साथ मारपीट की। उसका बीच बचाव लीलाधर, चौथमल और अन्य गॉव वालों ने किया था, फिर दिलीप, उसके गॉव चला गया था।** इस घटना के बाद, दिलीप गॉव में जाकर, वापिस आ गया था और उसके साथ, वापिस मारपीट की थी। उसके हाथ एवं पसली में चोट आयी थी। उसका ईलाज अंता अस्पताल में चला था। रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन करवायी थी। गवाह द्वारा, प्रकरण में दर्ज तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 3 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट, घटना के दूसरे दिन की थी। रिपोर्ट उसके भतीजे ने लिखी थी, जिसका नाम राकेश है। रिपोर्ट पर, उसने सिर्फ हस्ताक्षर ही किये थे। पुलिस घटना के दस–पन्द्रह दिन बाद, पूछताछ करने आयी थी और नक्शा मौका भी, उसी दिन बनाया था। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **दिलीप ने उसके साथ, लकड़ी से मारपीट की थी। मारपीट के दौरान, उसके हाथ एवं सिर पर, चोट आयी थी।** दिलीप ने, उसके, दुकान पर ही खड़े खड़े ही मारी थी। उसका बीच बचाव लीलाधर, चौथमल और अन्य गॉव वालों ने किया था।

13. इसी कम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित, घटना के अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाहान पी.ड. 02 लीलाधर एवं पी.ड. 03 चौथमल ने भी, परिवादी/आहत गवाह पी.ड. 01 ओमप्रकाश के कथनों का समर्थन करते हुये, अभियुक्त के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाते हुये, अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा, परिवादी/आहत ओमप्रकाश के साथ मारपीट किये जाने बाबत् कथन, न्यायालय समक्ष किये है।

14. हस्तगत प्रकरण में, जहॉ तक प्रश्न, परिवादी/आहत के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह डॉ. विजेंद्रनाथ तिवारी को पी0ड0 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 11.06.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंता में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, आहत ओमप्रकाश के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में तैयार किये गये, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 06 एवं आहत के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में तैयार, एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 04 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 05 की भी ताईद की गयी है तथा गवाह द्वारा, उक्त चोट की प्रकृति के संबंध में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

'चोट नंबर 01 – खरोंच आकार 3 गुना 2 से.मी. दायें हाथ पर पीछे। चोट नंबर 02 – खरोंच आकार 3 गुना 2 से.मी. बायीं कोहनी पर। चोट नंबर 03 – खरोंच आकार 3 गुना 2 से.मी. ललाट पर बायीं तरफ। चोट नंबर 04 – खरोंच आकार 2 गुना 2 से.मी. बायें टखने पर। चोट नंबर 05 – खरोंच आकार 3 गुना 2 से.मी. छाती पर बायीं तरफ थी। चोट नंबर 05 के लिये, उसने एक्स रे की राय दी थी। बाद एक्स रे कोई हड्डी की चोट नहीं थी। अतः उसकी राय में चोट नंबर 01, 02, 03, 04 एवं 05 साधारण प्रकृति की एवं कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी थी। समस्त चोटें 24 घंटे के भीतर की थी।'

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 04 में वर्णित समस्त चोटें, सख्त धरातल पर फिसलकर गिरने पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

15. इसी क्रम में, हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह जीतराम को पी0ड0 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 28.07.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंता में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, आहत ओमप्रकाश के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में तैयार, एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 04 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 05 की भी ताईद की गयी है।

16. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी बच्चू सिंह, जो कि दिनांक 20.07.2021 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, को अभियोजन द्वारा गवाह पी0ड0 06 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है। गवाह द्वारा, प्रकरण में उसके द्वारा किये गये संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, प्रकरण में, घटनास्थल पर पहुॅचकर, घटनास्थल के संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 तैयार किया गया, जिसकी ताईद गवाह द्वारा की गयी। गवाह ने, अनुसंधान संबंधी सभी औपचारिकताऍ पूरी किये जाने का, जैसे आहत के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआयना किये जाने का, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाने का, कथन किया है। गवाह के अनुसार, प्रकरण में उसके द्वारा, बाद अनुसंधान, अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित पाया गया।

17. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त गवाहान के बयानों के प्रकाश में, न्यायालय से आग्रह किया गया है कि प्रकरण में आहत एवं अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा, न्यायालय समक्ष, संपूर्ण घटना की पूर्णतया ताईद की गयी है। प्रकरण में, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना पूर्णतया प्रमाणित है तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता भी प्रमाणित है। वहीं, अभियुक्त पक्ष द्वारा, संपूर्ण घटना का खंडन करते हुये, न्यायालय से आग्रह किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त पक्ष को झूठा फॅसाया गया है। अतः अभियोजन वृतांत पर, अवलंब लिया जाकर, अभियुक्त को दोषी नहीं माना जा सकता है।

18. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो परिवादी/आहत गवाह पी0ड0 01 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय समक्ष यह स्पष्ट कथन किया है कि **'उधर से दिलीप कुमार, थार गाड़ी लेकर आया और गाड़ी से उतरकर, उसके साथ गाली गलौच करी थी और फिर उसने बोला कि 'मेरा क्या कसूर है, मेरा, तेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नही है'। फिर उसके बाद, दिलीप ने उसके साथ मारपीट की। उसका बीच बचाव लीलाधर, चौथमल और अन्य गॉव वालों ने किया था, फिर दिलीप, उसके गॉव चला गया था। इस घटना के बाद दिलीप गॉव में जाकर वापिस आ गया था और उसके साथ, वापिस मारपीट की थी। उसके हाथ एवं पसली में चोट आयी थी।'**

19. न्यायालय के विनम्र मत में, किसी भी दांडिक प्रकरण में मजरूब गवाह की साक्ष्य का विशेष दर्जा होता है। यह कि जब तक मजरूब के कथनों में कोई गंभीर विरोधाभास ना हो, न्यायालय द्वारा उन पर अवलंब लिया जा सकता है।

इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **Abdul Sayeed Versus State of M.P. reported in 2010 AIR SCW 5701** सुसंगत है, जहां कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में, मजरूब द्वारा दिये गये बयानों के संबंध में, निम्न मार्गदर्शन दिया गया है –

That "the law on the point can be summarised to the effect that the testimony of the injured witness is accorded a special status in law. This is as a consequence of the fact that the injury to the witness is an in-built guarantee of his presence at the scene of the crime and because the witness will not want to let his actual assailant go unpunished merely to falsely implicate a third party for the commission of the offence. Thus, the deposition of the injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित परिवादी/आहत गवाह पी.ड. 01 ओमप्रकाश एवं अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण चक्षदुर्शी गवाहान पी.ड. 02 लीलाधर एवं पी.ड. 03 चौथमल द्वारा अपने बयानों में, अभियुक्त दिलीप कुमार के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाये गये है। प्रकरण में आहत के बयानों का पूर्णतया समर्थन, गवाहान पी.ड. 02 लीलाधर एवं पी.ड. 03 चौथमल द्वारा भी किया गया है। **अभियुक्त दिलीप कुमार द्वारा, आहत ओमप्रकाश के साथ मारपीट/लड़ाई झगड़े बाबत् कथन, उक्त दोनों ही गवाहान लीलाधर एवं चौथमल द्वारा, भी किये गये है।**

20. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा पेश, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 4 से भी, आहत ओमप्रकाश के बयानों को बल प्राप्त होता है, उक्त चोट प्रतिवेदन में, **'आहत के शरीर पर, कुंद हथियार से, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित होने का तथ्य अंकित है।'**

21. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में कोई भी तात्विक विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। यह कि अभियुक्त पक्ष एवं परिवादी पक्ष पूर्व से ही एक दूसरे को जानते है। ऐसे में, अभियुक्त पक्ष की पहचान संदिग्ध प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्त द्वारा, अंतर्गत धारा 313 दंड प्रकिया संहिता में भी, अपने बचाव में, अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य एवं स्वयं की उपस्थिति का भी, किसी प्रकार से कोई विनिर्दिष्ट खंडन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त पक्ष, घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति का खंडन करने में असफल रहा है। अतः इन परिस्थितियों में, पत्रावली के समग्र अध्ययन एवं अवलोकन से यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा आहत के साथ, मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसमें कि **'अभियुक्त द्वारा, आहत के साथ मारपीट कर, उसके शरीर पर, कुंद हथियार से, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी थी।'** इस प्रकार, हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति तथा अभियुक्त द्वारा, आहतगण के साथ

हुयी मारपीट की घटना एवं उक्त मारपीट में आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, जिसका खंडन करने में अभियुक्त पक्ष असफल रहा है तथा अभियुक्त पक्ष, बरवक्त घटना, घटनास्थल पर अपनी अनुपस्थिति बाबत् कोई साक्ष्य पेश करने में भी असफल रहा है।

22. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्त को, अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी घोषित किया जाता है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर :—

23. दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का इस आशय का निवेदन रहा है कि उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त पिछले पॉच वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध ना तो कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही इससे पूर्व किसी प्रकरण में, अभियुक्त ने परीवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावें, जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने, अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

24. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियुक्त पिछले पॉच वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहा है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश, आहत के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में तैयार, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 04 का अवलोकन करें तो उक्त चोट प्रतिवेदन में 'आहत के शरीर पर, कुंद हथियार से, साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित होने का तथ्य अंकित है', परंतु आहत के किसी महत्वपूर्ण अंग पर, कोई चोट कारित नहीं हुयी है।' अतः ऐसी दशा में, प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, आहत के शरीर पर आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण की अन्वीक्षा अवधि को ध्यान में रखते हुये, अभियुक्त को कारावास से दंडित ना करते हुये, अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर, अभियुक्त को अर्थदंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

—:: दंडादेश ::—

25. अतः अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र रामकुंवार, आयु 47 वर्ष, निवासी मौजा सोरसन की झोपड़ियां, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.

को उसके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में, निम्नानुसार अर्थदंड से दंडित किया जाता है –

1. अभियुक्त को अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत 250/–रूपये (अक्षरेः दो सौ पचास रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड, अभियुक्त, सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

2. अभियुक्त को अंतर्गत धारा 341 भारतीय दंड संहिता के तहत 250/–रूपये (अक्षरेः दो सौ पचास रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड, अभियुक्त, सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। इस प्रकार, अभियुक्त के विरूद्ध कुल पॉच सौ रूपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित की जाती है।

26. संपूर्ण अर्थदंड की राशि 500/–रूपये (अक्षरेः राशि पॉच सौ रूपये) न्यायालय के राजकोष में जमा करायी जावें।

27. हस्तगत प्रकरण में, अर्थदंड की राशि पॉच सौ रूपये में से, दो सौ पचास रूपये, आहत ओमप्रकाश द्वारा, न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर, नियमानुसार, आहत को क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के रूप में अदा किये जावें।

28. अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

29. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

30. निर्णय आज दिनांक 02.05.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)